राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 180/2024

डॉ॰ अखिलेश पुरोहित **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्थास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
4. डॉ गोपाल सिंह राजपूत, जिला अस्पताल, शिवगंज, जिला सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.03.2024
आदेश की दिनांक : 15.04.2024

उपस्थित :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मंजूल श्रीमाली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) के पद पर जिला अस्पताल, शिवगंज, सिरोही में कार्यरत है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला अस्पताल शिवगंज से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल शिवगंज सिरोही किये जाने पर व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जिला अस्पताल पाली से जिला अस्पताल शिवगंज जिला सिरोही में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया गया तथा आदेश दिनांक 25.08.20222 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय शिवगंज, सिरोही अपनी उपस्थिति देने के निर्देश प्रदान किए गए। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यग्रहण किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक

15.03.2024 (अनुलग्नक–7) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जिला अस्पताल शिवगंज, सिरोही में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है, परन्तु शिवगंज जिला सिरोही के जिला अस्पताल में अपीलार्थी अपनी सेवाएं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर पूर्व से ही दे रहा है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश में कहीं पदस्थापन नहीं किया गया है।

अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–7) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) के पद पर जिला अस्पताल, शिवगंज, सिरोही में ही कार्यरत रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता का अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी एक सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें एवं जारी आदेश से अपीलार्थी को सम्यक् रूप से सूचित किया जावे।

अतः अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य